



दामोदर घाटी निगम / DAMODAR VALLEY CORPORATION

वित्त विभाग, लेखा स्कंध / FINANCE DEPTT., ACCOUNTS WING

पेंशन अनुभाग / PENSION SECTION

डीवीसी टावर्स: वीआईपी रोड, कोलकाता - 700054

DVC TOWERS: VIP ROAD, KOLKATA - 700 054

PHONE NO. (OSS) 6607 2444/6607 2437/ 2446/2436

सं. एओ/पेंशन/ ईपीपीओ/2024/-

दिनांक-30-09-2024

No. AO/Pension/PPO/2024/- 521

Date:30-09-2024

डीवीसी पेंशनधारियों को सादर सूचनार्थ

FOR KIND NOTICE TO DVC PENSIONERS

विषय: पेंशन रिकॉर्ड (यानी पीपीओ) बनाम बैंक खाते में नाम का बेमेल होना

Sub: Mismatch of name in Pension Records (i.e PPO) Vs Bank Account

पेंशनभोगियों को समय पर भुगतान हमारी प्राथमिकता है और डीवीसी पेंशनभोगियों को नियमित आधार पर मासिक पेंशन का वितरण किया जा रहा है। लेकिन कुछ पेंशनभोगियों को पेंशन संवितरित करते समय पीपीओ में नाम और बैंक खाते में नाम के मेल न होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

Timely payment to Pensioners is our priority and monthly pension is being disbursed to DVC Pensioners on regular basis. But, while disbursing the pension to some of the pensioners, difficulties are being faced due to mismatch of Name in PPO and name in Bank Account.

Example: Name in PPO: S M Banerjee/S M Bandhyopadhyay

Name in Bank A/c: Shankar Mohan Bandhyopadhyay

और इसके विपरीत and vice versa

दोनों अभिलेखों अर्थात डीवीसी और बैंक खाते में पेंशनभोगी का नाम अलग-अलग नहीं होना चाहिए।
The name of the pensioner in both the records i.e DVC and Bank Account should not differ.

इसलिए, सभी पेंशनभोगी जिनका नाम बैंक खाते से मेल नहीं खा रहा है, उनसे अनुरोध है कि वे पेंशन के सुचारू वितरण के लिए उचित दस्तावेज के साथ बैंक रिकॉर्ड/डीवीसी रिकॉर्ड में 15 नवंबर 2024 तक सुधार के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। यदि नहीं, तो उन पेंशनभोगियों को संवितरण नवंबर 2024 से निलंबित करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जब तक कि दोनों अभिलेखों में नाम नियमित नहीं हो जाता।

Therefore, all the pensioners whose name is not matching with Bank Account are requested to make necessary arrangement for corrections by 15th November 2024 in Bank records/DVC records as per rules with proper documentation for smooth disbursement of pension. If not, the disbursement to those pensioners may be forced to be suspended from November 2024 onwards till regularisation of Name in both records as same.

30/09/24

मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)

Chief General Manager (Finance)

दा घा नि, कोलकाता, DVC, Kolkata

